न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

नामः पीठासीन अधिकारीः– श्री रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्याः–253 / 2018
जी सी एम एस न. 2018 / 00547

दर्ज दिनांक 13.09.2018
निर्णय दिनांक 07.02.2022

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

प्रार्थी

बनाम

1. प्रभातीलाल उर्फ भातूराम पिता हनुमान जाति माली निवासी मावता

अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा0का0अधि0 1955

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा0का0अधि0 1955 का मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम मावता पटवार हल्का जहाज के भूमि ख0न0 668, 669, 667, 671 किता 4 रकबा 1.84 है0, किस्म बारानी 1 व बारानी 3 जाव स्थित है। उक्त भूमि अप्रार्थी की खतेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है किन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि से अवैधा खानन किया जा रहा है। जो बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति एंव स्वीकृति से किया जा रहा है। उक्त भूमि कृषि कार्यो के लिए राज्य सरकार द्वारा अप्रार्थी न0 1 दी गई थी । राज्य सरकार एवं अप्रार्थी के मध्य उक्त भूमि को कृषि प्रयोजनो हेतु उपयोग लेने की प्रयुक्त संविदा(applied contract) को खातेदारो ने भंग कर उक्त भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेकर कृषि भूमि को नुकसान कारित किया है। ग्राम मावता पटवार हल्का जहाज के भूमि ख0न0 668, 669, 667, 671 किता 4 रकबा 1.84 है0, किस्म बारानी 1 व बारानी 3 जाव भूमि से अप्रार्थी को बेदखल किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक (राजकीय भूमि) दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जवाबदेही की गई। अप्रार्थी न0 1 ने जबाब प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित ग्राम मावता पटवार हल्का जहाज के भूमि ख0न0 668, 669, 667, 671 किता 4 रकबा 1.84 है0, किस्म बारानी 1 व बारानी 3 जाव भूमि जबाब देहन्दा की खातेदारी मे दर्ज है तथ जबाब देहन्दा उक्त भूमि खसरा न0 में कोई खनन कार्य नही किया तथा किसी प्रकार को कोई अकृषि कार्य नही किया । जबाबदेहन्दा उक्त भूमि को काश्त के अलावा अन्य किसी कार्य में उपयोग में नही लिया है। कृषि योग्य उपजाऊ भूमि तैयार करके खेती करे अपना जीवन यापन कर रहे है। जबाब देहन्दा के पास खेती कार्य के अलावा अन्य कोई आय का स्त्रोत तथा जीवन यापन का साधन नही है तथा जबाबदेहन्दा की भूमि की किस्म परिवर्तन कर दी जायेगी तो बबार्द हो जायेगे। इसलिए जबाबदेहन्दा के खिलाफ में कि गई कार्यवाही को ड्रॉप फरमायी जाकर प्रार्थीगण के जीवन यापन में कोई बाधा कारित नही किया जाना प्रार्थनीय है।

बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी ने ग्राम मावता पटवार हल्का जहाज के भूमि ख0न0 668, 669, 667, 671 किता 4 रकबा 1.84 है0, किस्म बारानी 1 व बारानी 3 जाव में बजरी खनन किया जा रहा है। कृषि कार्य की बजाय अकृर्षि कार्य किया जा रहा है उक्त कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर कृषि भूमि को नुकसान कारित किया है। अप्रार्थी संख्या 1 के वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र एक आधारहीन मिथ्या मनगढन्त है तथा उक्त खसरा न0 में कोई गैर कृषि कार्य नही किया जा रहा । उक्त खसरा न0 को भूमि काश्त के अलावा अन्य किसी कार्य में उपयोग नही लिया जा रहा। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा आधारहीन व सारहीन प्रार्थना पत्र पेश किया जो काबिले खारीज हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:19:02 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अलोकन किया गया तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी से मौका रिपोर्ट तलब कि गई । रिपोर्ट के अनुसार मावता पटवार हल्का जहाज के भूमि ख0न0 668, 669, 667, 671 किता 4 रकबा 1.84 है0, किस्म बारानी 1 व बारानी 3 जाव अप्रार्थी के खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड हैं । उक्त खसरा न0 में अवैध बजरी खनन कर भूमि को काश्त अयोग्य कर दिया है।, अप्रार्थी ने उक्त भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेकर कृषि भूमि को नुकसान कारित किया है व राज्य सरकार व अप्रार्थी के मध्य उक्त भूमि को कृषि प्रयोजनो हेतु उपयोग लेने की प्रयुक्त संविदा को खातेदार ने भंग किया है। वर्तमान में उक्त भूमि कृषि योग्य नही रह जाने के कारण उक्त भूमि से अप्रार्थी को बेदखल किया जाना तथा उनकी खातेदारी समाप्त की जाकर भूमि को सिवायचक (राजकीय भूमि) घोषित किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा0का0अधि0 1955 का स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मावता पटवार हल्का जहाज 668, 669, 667, 671 किता 4 रकबा 1.84 है0, किस्म बारानी 1 व बारानी 3 जाव भूमि से अप्रार्थीगण की खातेदारी समाप्त कर भूमि को सिवायचक (राजकीय भूमि) घोषित किया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी उक्त वर्णित भूमि में से अप्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा राज लेवे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 07.02.2022 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर में सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:19:02 IST
Reason: SelfAttested